

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 12/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ). – केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा.का.नि. संख्यांक द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थीं, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है, अर्थात्:--

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	सा.का.नि. सं०
(1)	(2)	(3)
1.	205/92-सीमाशुल्क, तारीख 19 मई, 1992	538(अ) 19 मई, 1992
2.	73/99-सीमाशुल्क, तारीख 8 जून, 1999	411(अ) 8 जून, 1999
3.	105/99-सीमाशुल्क, तारीख 10 अगस्त, 1999	582(अ) 10 अगस्त, 1999
4.	22/2003-सीमाशुल्क, तारीख 4 फरवरी, 2003	78(अ) 4 फरवरी 2003
5.	14/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004	27(अ) 8 जनवरी, 2004
6.	56/2006-सीमाशुल्क, तारीख 7 जून, 2006	351(अ) 7 जून, 2006
7.	22/2007-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2007	119(अ) 1 मार्च, 2007
8.	13/2010-सीमाशुल्क, तारीख 19 फरवरी, 2010	94(अ) 19 फरवरी, 2010

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार